

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष  
( 2024-2025 )****लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिता निधि)**

Administrative Department : Secretary, Animal Husbandry ( S002 )

Head of Department : Director Animal Husbandry( 2291 )

आवंटन पत्र संख्या - 79626

आवंटन आई डी - S2412PAC0004

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक - 27-DEC-2024

कनेक्टिंग हेड (लेखा शीर्षक) -

2403	पशु पालन	00	-
106	अन्य पशुधन विकास	26	आई0 टी0 बी0 पी0 बटालियन को जीवित भेड़ बकरी एवं कुक्कुट आपूर्ति
00	-		

2	4	0	3	0	0	1	0	6	2	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	62000000	0	62000000
	योग	0	62000000	0	62000000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 6,20,00,000 (Rupees Six Crores Twenty Lacs Only)**

Batch ID : DIS:S002:S002:2412:0002

**Approval Status : e-Sign letter**

Uttarakhand

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

विषय: उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में स्थित आई.टी.बी.पी. बटालियन को भेड़-बकरी एवं कुक्कुट की आपूर्ति हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4083/पशुधन-तीन/यू0एस0जी0सी0एफ0/2024-25 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष माहों हेतु उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में स्थित आई.टी.बी.पी. बटालियन को भेड़-बकरी एवं कुक्कुट की आपूर्ति हेतु रू0 620.00 लाख (रू0 500.00 लाख रिवाल्विंग फण्ड, रू0 100.00 लाख गैप फण्ड तथा रू0 20.00 लाख परिवहन एवं प्रोत्साहन राशि) राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहित व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
- (4) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
- (5) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
- (6) स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की

अनियमितता, दुरुपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त संगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) उक्त अग्रिम की धनराशि का समायोजन नई मांग/अनुपूरक मांग के माध्यम से कर लिया जायेगा।

(11) रिवाल्विंग फण्ड हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के ई पत्र संख्या: 263687/2024 दिनांक: 23.12.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

3. उक्त धनराशि का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-लेखा-201-समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या -28 के लेखाशीर्षक -2403 -पशुपालन-00-106-अन्य पशुधन विकास-26-आई0टी0बी0पी0 बटालियन को जीवित भेद बकरी एवं कुक्कुट आपूर्ति -42-अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत किया जायेगा।

Signed by भवदीय,

Rajendra Kumar Bhatt

Date: 27-12-2024 12:05:02

(राजेंद्र कुमार भट्ट)  
संयुक्त सचिव

संख्या: 2046 (1)/XV-1/2024/79626 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, शीप बोर्ड, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4/वित्त अनुभाग-1
8. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by

Karam Ram (करम राम)

अनु सचिव

Date: 27-12-2024 12:55:50